

105165

नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक

प्रारूप - 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या ३१६

दिनांक 26/02/2019



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या 1762

पत्रावली संख्या

ए०एल०-१७६८७

दिनांक 2003-2004

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि मानस चिल्ड्रेन्स वेलफेर
सोसाइटी , जोगापुर, इलाहाबाद रोड, प्रतापगढ़

को

1261 / 2003-04

16-02-2004

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिनांक 16-02-2019 को दिनांक

16-02-2019

से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

1000

रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

21-02-2019

जारी करने का दिनांक

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

दस
रुपये

₹.10

TEN
RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

67AD 120812

ग्रीष्म वर्ष १९६८ का दस रुपये नोट
कालीन दिन ४.१२.१९६८
प्रमाणित है।

रुपये १०
प्रमाणित
दिन २५/०८/१९६८



संस्था का संशोधित संविधान व नियमावली

- | | |
|---------------------------|---|
| १— संस्था का नाम | मानस चिल्ड्रेन वेलफेर सोसाइटी |
| २— संस्था का पता | : जोगापुर इलाहाबाद रोड प्रतापगढ़ |
| ३— संस्था का कार्यक्षेत्र | : सम्पूर्ण भारतवर्ष |
| ४— संस्था के उद्देश्य | : जैसाकि स्मृतिपत्र में अंकित है |
| ५— संस्था की सदस्यता — | सदस्य दो प्रकार के होते हैं
क— संस्थापक सदस्य
स— साधारण सदस्य |

क— संस्थापक सदस्य

संस्थापक सदस्य संस्था के आजीवन सदस्य होगे जाके व्यक्त हों भारतीय नागरिक हों और जो संस्था को न्यूनतम 25000/- रुपये एकमुश्त नगद अथवा उतनी या उसी सम्पत्ति अथवा आधिक की सम्पत्ति प्रदन करे संस्थापक सदस्यों का पारिक गुण देना अनिवार्य नहीं होगा। उन्हें अधिकार होगा कि वह संस्था के सभी बैठकों में भाग ले उनके मृत्यु के पश्चात उनके वारिस अथवा नामित व्यक्ति संस्था का सदस्य हो। इस प्रकार सदस्यों को वही अधिकार होगा जो संस्था के संस्थापक सदस्य के थे। यह संस्था के संस्थापक सदस्यों की संख्या प्रबन्ध समिति के 2/3 बहुमत से बढ़ाया जा सकती है।

स— साधारण सदस्य

साधारण सदस्य व्यक्त हो और भारत या नागरिक हो तथा प्रतिवर्ष 501/- रुपये धनराशि कम से कम संस्था को देना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष पूर्ण होने पर एक वर्ष के अन्तर्गत अग्रिम वर्ष नी सदस्यता उन्का कोषाव्यक्ति के पास जमा कराना अनिवार्य है। साधारण सदस्य ऐसे भी व्यक्ति हो सकेंगे जिन्हें संस्था के कार्यकारिणी रही।

६— सदस्यता की समाप्ति—

सदस्यता की समाप्ति निम्न परिस्थिति में रामाय होगी।

- १— मृत्यु
- २— पागल व मरितरिक विकृत होने पर
- ३— त्यागपत्र
- ४— सदस्यता की अवधि समाप्त होने पर
- ५— किसी जघन्य आपराधिक मुकदमों में लिप्त होने पर
- ६— संस्था के हितों व नियमों के प्रतिकूल कार्य करने पर
- ७— अनुशासनहीनता पर

नियम (६) (७) व (८) के लिए यह आवश्यक होगा कि कैर्पेक्टरिणी समिति 2/3 बहुमत सदस्यता समाप्ति करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित करे।

८— संस्था के अंग:-

- अ— साधारण सभा
- ब— प्रबन्धकारिणी समिति।

९— साधारण सभा— अ— गठन-

संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।



(Signature of Secretary)

(Signature of President)

(Signature of General Secretary)

(Signature of Treasurer)

(Signature of Member)

५- रिक्त रस्थानों की पूर्ति-

प्रबन्धकारिणी समिति में यादे विली भी प्रकार का आकर्तिक स्थान रिक्त ना जाता। तो उसकी पूर्ति साधारण सभा के २/३ के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए कर जायेगी।

६- प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कार्य:-

- १- सरस्था के लिए सम्पत्ति उपलब्ध अजिंत करना।
- २- सरस्था के हित में सम्पत्ति का अन्वयण करना और सरस्था की सभी सम्पत्ति देखावाले व्यवस्था एवं सुलक्षण करना।
- ३- सरस्था के हित में नियम बनाना और उसके अनुरूप कार्य करना।
- ४- सरस्था के हित में नियम बनाना और उसके अनुरूप कार्य करना।
- ५- राष्ट्रीय बैंक में सरस्था के नाम पर एकाउंट खोलना और उसका अध्यक्ष समिति कोषाध्यक्ष में विस्तीर्णी दो के संयुक्त हस्ताक्षर हारा संचालन करना।
- ६- सरस्था हारा संचालित विद्यालय का नामांकन करना।
- ७- सरस्था के हित एवं बृद्धि के लिए बैंक एवं अन्य सार्वजनिक श्रोत व कर्जे लेना।
- ८- अन्य ऐसा कार्य जो सरस्था के हित में हो।

७- कार्यकाल:-

कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल ५ वर्ष का होगा।

१०- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कार्य:-

अ- अध्यक्ष के अधिकार व कार्य:-

- १- साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करना।
- २- सरस्था के अग्रिमेखों पर हस्ताक्षर करना सरस्था के हारा चाद प्रस्तुत करना। और सरस्था के ऊपर चाद में उसका उत्तर देना।
- ३- समान गत होने पर अपना एक छोटा अतिरिक्त देना।
- ४- त्यागपत्र रवीकार करना।
- ५- बैठक की सिधियों का अनुमोदन करना।
- ६- बैठक स्थगित करना तथा पुनः आहुत करने हेतु निर्देश देना।
- ७- सभी प्रकार के अग्रिमेखों को अपने पपास सुरक्षित रखना।
- ८- साधारण सभा के सदस्य बनाना तथा सदस्यता रसीद पर हस्ताक्षर का प्रभाग करना।
- ९- संसद के लिए चल-अचल सम्पत्ति अजिंत करना।
- १०- सभी प्रकार के अनुबन्धों के प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।
- ११- प्रशानिक कार्य करना।
- १२- बिल व बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।

ब- उपाध्यक्ष के अधिकार व कार्य:-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष को सभी कर्तव्यों तथा अधिकारों को पूर्ण करने का अधिकार उपाध्यक्ष को होगा।

स- सचिव के अधिकार व कार्य:-

- १- सरस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति निलम्बन व पदच्युत करना उनका वेतन भत्ता व परिश्रमिक आदि निर्धारित करना तथा भुगतान करना।
- २- सरस्था का बजट बनाना और उसी रवीकृति हेतु कार्यकारिणी व साधारण सभा के सम्मुख रखना।

*Choudhury
Date 3 B/1961
मुक्तजादेवी अर्पण
Mount Seals*



सत्य प्रतिलिपि

*क. एक रुपये-५०
संसद विभागीय दफ्तर
मुख्यमंत्री*

- 3- दान अनुदान घन्टा क्रण प्राप्त करना उसकी समीकृति में लाग करना।
- 4- संस्था के सभी लेखे यी देखभाल एवं रखरखय करना एवं पत्राचार करना।
- 5- कार्यवाही को लिखना बैठक में कार्यवाही पढ़कर सुनाना।
- 6- बैठकों की सूचनाये सदस्यों एवं पदाधिकारियों को देना।
- 7- संस्था के विकास हेतु कार्य करना।
- 8- संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
- 9- बैठकों की लिखियों को अध्यक्ष से अनुमोदित करना।
- 10- संस्था के विकास हेतु कार्य करना।

द- कोषाध्यक्ष के अधिकार:-

- 1- आय व्यय का लेखा जोखा रखना।
- 2- अध्यक्ष द्वारा हरताक्षरित बिलों का भुगतान करना।
- 3- सदस्यों से सदस्यता शुल्क प्राप्त कर अध्यक्ष से प्रमाणित कराकर समीकृत देना।
- 4- अन्य वे कार्य करना जो संस्था के हित में हो तथा कार्यकारिणी अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाय।

11- संस्था के निमों में संशोधन

संस्था के नियमों एवं संविधा में संशोधन कार्यकारिणी संस्था के 2/3 बहुमत से किया जा सकता है।

12- संस्था का कोष:-

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मान्यता प्राप्त बैंक व पोस्ट अफिस में संस्था के नाम खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका आहरण अध्यक्ष कोषाध्यक्ष के संयुक्त हरताक्षरों से तंचालित किया जायेगा।

13- संस्था के आय व्यय का परीक्षण

संस्था के आय व्यय का परीक्षण किसी योग्य आईटर द्वारा कराया जायेगा जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में होगा।

14- संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही का उत्तरदायित्वः-

संस्था की अदालती कार्यवाही का संचालन संस्था के सचिव द्वारा किया जाएगा।

15- संस्था के अग्रिमेखः-

- 1- सदस्यता पंजीयन रजिस्टर
- 2- कार्यवाही रजिस्टर
- 3- एजेण्डा रजिस्टर
- 4- कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, लैजर कॉर्टस, आदि।

16- विधटन:-

संस्था का विधटन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम को भारा 13 व 14 के अन्तर्गत किया जायेगा।

- प्रतिबन्धः-

- क- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा
- ख- विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक व्यक्ति होगा।



*S. K. Sinha
Chairman
State Board of Secondary Education
Government of Bihar*

अत्या प्रतिलिपि
*State Board of Secondary Education
Government of Bihar, Bihar Board
Bihar Board, Bihar Board, Bihar Board*

- १- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाते / अनुसूचित तनावी ग्राहकों बच्चों के लिए मुश्किल रहेंगे और उनसे कोई शूलक नहीं लिया जायेगा।
- २- सरथा हासा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि कोई विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् रो मान्यता प्राप्त तथा विद्यालय को सम्मानित बांड आफ सेकेन्ड्री एज्युकेशन दिल्ली/काउन्सिल फार दि ट्राई इन का सार्टिफिकेशन एकजामिनेशन नहीं दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा प्रसिद्ध सम्बद्धता समाप्त होने की तिथि से परिषद् से मान्य और राज्य सरकार से अनुदान स्रात समाप्त हो जायेगा।
- ३- सरथा के शिक्षण शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण सरथा कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ता नहीं दिये जायेंगे।
- ४- कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उपलब्ध माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा नियृत्त लाभ उपलब्ध नहीं जायेगे।
- ५- राज्य सरकार हासा समय- समय पर जो भी आदेश किरण्त किये जायेंगे सरथा उनका पालन करेगी।
- ६- विद्यालय का रिकार्ड निधारित प्रपत्र/ पञ्जिकाओं में रखा जायेगा।
- ७- सरक्त शर्तों में विना शासन के पूर्वानुग्रहोदन के कार्ड-विवरतन परिवर्तन / सशाधन नहीं किया जायेगा।

सत्यप्रतिलिपि

दिनांक 24-09-2018

हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि